प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त निदेशक एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला/मानसिक/क्षय/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी ट्रामा सेन्टर, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–19फ/उप0/टी0सी0–211/2017/376-78 लखनऊः दिनांक 28/02/2018

विषयः–प्रदेश में उपचारिकाओं के रिक्त पदों पर सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से अग्रेतर आदेशों तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–8 के पत्र संख्या–639/पांच–8–2018–जी(235)/2016, दिनांक 23.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–74/2015/1689/5–1–2015–5(75)/2015, दिनांक 31.12.2015 एवं शासनादेश संख्या–1785/पांच–1–2017–3(11)/2016, दिनांक 23.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में प्रदेश के चिकित्सालयों में आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव संसाधन की आपूर्ति उपचारिकाओं के रिक्त 4031 पदों को भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 23.02.2018, 23.08.2017 एवं 31.12.2015 की छायाप्रति संलग्न करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अनुसार प्रदेश की चिकित्सा ईकाईयों में संलग्न सूची में उल्लिखित उपचारिका के रिक्त पदों पर दिनांक 31.03.2018 तक के लिये सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से सेवायें लेना सुनिश्चित करें। यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है तथा यह व्यवस्था दिनांक 31.03.18 तक या लोक सेवा आयोग से नियमित चयन की संस्तुति प्राप्त होने, जो पहले हो तक प्रभावी रहेगी। सूची में दर्शायी गई रिक्तियों की संख्या से अधिक किसी भी दशा में चिकित्सा ईकाईयों में उपचारिकाओं की सेवायें न ली जाय। अन्यथा की स्थिति में आप स्वंय पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि संलग्न सूची में उल्लिखित चिकित्सा इकाइयां जो संचालित/क्रियाशील हो उन्ही चिकित्सा इकाइयों में उपचारिकाओं की सेवायें ली जायें। कृत कार्यवाही से शासन/महानिदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(पद्माकर सिंह)
महानिदेशक

पत्रांकः–19फ/उप0/टी0सी0–211/2017/379-81 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–8 के उक्त सन्दिर्भत पत्र दिनांक 23.02.2018 के क्रम में।
2. वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, उ0प्र0।

(सुरेश चन्द्रा)
संयुक्त निदेशक (नर्सिंग)

प्राथमिकता

संख्या–1785/पांच–1–2017–3(11)/2016

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांकः 23 अगस्त, 2017

विषयः–प्रदेश के चिकित्सालयों में आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत मानव संसाधन की आपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/ट्रामा सेन्टर/ब्लड बैंक आदि में सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से मानव संसाधन लिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–1689/पांच–1–2017–5(75)/2015 दिनांक–31.12.2015 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, कानपुर द्वारा अनुमोदित 02 वेण्डरों मेसर्स अवनी परिधि एनर्जी एण्ड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स रामा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को 03 वर्ष या नया शासनादेश होने तक, जो भी बाद में हो, के लिए संविदा के माध्यम से, मैनपावर उपलब्ध कराये जाने हेतु मैनपावर आउटसोर्सिंग एजेंसी नामित किया गया है।

2– उक्त शासनादेश दिनांक–31.12.2015 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका सं0–29005/2016 बोधिसत्व समाज सेवा संस्थान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–01.07.2016 को आदेश पारित किये गये हैं। यह देखते हुए कि सेवा प्रदाता एजेंसी नामित किये जाने विषयक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक–31.12.2015 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के दृष्टिगत प्रश्नगत दोनों वेन्डरों से निर्वाद रूप से मैनपॉवर प्राप्त किये जाने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है, अतः उक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया हैः–

i. विभाग में नये सिरे से मैनपावर लिये जाने के सम्बन्ध में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन हेतु ई–टेण्डरिंग की प्रक्रिया, जिसमें उक्त दोनों वेन्डर भी प्रतिभाग करने के लिए स्वतन्त्र होंगे, की समस्त आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करते हुए पारदर्शितापूर्ण ढ़ंग से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन दिनांक–31.03.2018 के पूर्व कर लिया जाए ताकि दिनांक–01.04.2018 से नये सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से विभाग में मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा सके।

ii. शासनादेश दिनांक–31.12.2015 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि यह शासनादेश दिनांक 31.03.2018 तक ही मान्य/प्रभावी होगा तथा

AO11/cams
29/8/17

निदेशक (चिकित्सा उपचार)
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
उ0प्र0, लखनऊ

5302
30-8-017

दिनांक–01.04.2018 से मैन पॉवर उपलब्ध कराये जाने हेतु नयी व्यवस्था लागू होगी।

iii. शासनादेश दिनांक–31.12.2015 द्वारा नामित सेवा प्रदाता एजेंसियों से अपरिहार्य परिस्थितियों एवं स्वास्थ्य सेवायें में व्यवधान न हो, के दृष्टिगत सृजित पदों के सापेक्ष नियमानुसार दिनांक–31.03.2018 तक मैन पॉवर की सुविधा ली जा सकती है।

कृपया तद्नुसार प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निदेशक (उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या– 639 /पॉच–8–2018–जी(235)/2016

प्रेषक,

शिवगोपाल सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–8 **लखनऊः दिनॉकः 23 फरवरी, 2018**

विषयः– प्रदेश में उपचारिकाओं के रिक्त पदों पर सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से अग्रेतर आदेशों तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–19फ/उप0/2017/395, दिनांक 13.02.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में उपचारिकाओं के रिक्त पदों पर सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से अग्रेतर आदेशों तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–558/पॉच–8–2018–जी(235)/2016, दिनांक 09.02.2018 के क्रम में इस बिन्दु पर परामर्श मांगा गया है कि क्या शासन द्वारा स्वीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सियों से ही प्रश्नगत उपचारिकाओं की सेवायें प्राप्त की जानी है अथवा सेवा प्रदाता एजेन्सी का नियमानुसार चयन हेतु टेन्डर की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के चिकित्सालयों में सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से मानव संसाधन लिये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–74/2015/1689/5–1–2015–5(75)/2015, दिनांक 31.12.2015 तथा शासनादेश संख्या–1785/पॉच–1–2017–3(11)/2016, दिनांक 23.08.2017 में प्रदेश के चिकित्सालयों में आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत मानव संसाधन की आपूर्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से अंकित प्राविधानों के अनुपालन में तत्काल अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

महानिदेशक शिविर
1424
26/2
निदेशक, नर्सिंग

स्टाफ आफिसर
26/2
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उ0 प्र0, लखनऊ

भवदीय,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-सं0नि0 (कैम्प)/...69 दिनांक...28/02/18

pathak/go...G-1